पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद पौडी के वि0ख0 कोट की घुडदोडी पम्पिग पेयजल योजना के विस्तृत आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03 सितम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री वी0आर0 पुरूषोत्तम, सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री उदय राज सिंह, एम0डी0, जल निगम, उत्तराखण्ड।
5. श्री एस0के0 शर्मा, सी0जी0एम0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री के0के0 रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
9. श्री एस0सी0 पन्त, सी0ई0(एच0क्यू0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
10. श्री संजय सिंह, एस0ई0 उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौडी गढवाल।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अधिकतर गावो में पाइप वाटर सप्लाई नहीं है अथवा क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। योजनान्तर्गत 17 गांवों में विभिन्न पेयजल योजनाओं द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, जिनमें 13 योजनाओं की डिजाइन अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं 04 योजनायें सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। मानकों के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु अलकनन्दा नदी से दो स्टेज पम्पिग योजना का निर्माण जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :– योजना में गुरूत्व आधारित सोर्स उपलब्ध न होने के कारण अलकनंदा नदी से पम्पिग द्वारा जलापूर्ति प्रस्तावित की गयी है। जिसमें निम्नानुसार प्राविधान प्रस्तावित किये गये है :–

- 06 मीटर व्यास आर0सी0सी0 Dry Intake Well - 01 संख्या।
- 1.00 एम0एल0डी0 क्षमता का Rapid Sand Gravity Filteration Plant
- पम्प हाउस – 03 संख्या।
- स्टाफ क्वाटर – 03 संख्या।

E& M Work

1. Transmission line 3 Phase 11 KV - 17 km. लम्बाई में
2. Pumping plant at intake well - Raw water pump house
3. 750 lpm discharge 20 एच0पी0, 50 मीटर हैड के दो पम्प सैट।
4. Transformer 63 KVA – 01 No.
5. Pumping plant at MPS – 700 lpm discharge, 135 HP, 470 mtr head – 2 Nos.
6. Transfomers – 250 KVA – 02 No.
7. Pumping Plant at IPS – 700 Lpm, 130 HP, 465 Mtr head – 02 Nos.

क्रमशः पृष्ठ–2/–

Pant

8. Transformers – 250 KVA – 01 No.
9. Pumping Plant at IPS – 650 LPM- 135 HP, 510 head.
10. Transformers – 250 KVA – 02 No.

- Storage Reservoiur – 04 Nos.
- CWR – Existing 24 No., Proposed – 25 No.
- Service Reservoir – New Proposed 04 No. ।
- **राईजिंग मेन**– MSERW / API Pipe – 8,370 मीटर।
- **Supply Main** - GI Pipe (25 से 65 एमएम0 dia) - 50,863 मीटर लम्बाई।
- **Distribution System** – GI pipe (20 mm to 65 mm dia) - 26,957 मीटर लम्बाई।

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.08.2021 को सम्पन्न हुई, जिसमें आगणन को व्यय वित्त समिति में प्रस्तुतिकरण की संस्तुति की गयी।

4.2 प्रस्तावित पेयजल योजना ग्राम सभा में ग्राम योजना से दिनांक 18.08.2020 से दिनांक 27.10.2020 के मध्य, जिला जल एवं स्वच्छता समिति से दिनांक 22.02. 2021 में तथा एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 07.07.2021 में अनुमोदित है।

4.3 योजना के अन्तर्गत कुल 1137 हाउस होल्ड है जिनके सापेक्ष 1137 FHTC प्रदान किये जाने है।

4.4 योजना की डिजाइन अवधि 30 वर्ष ली गयी है। आधार वर्ष 2022 तथा डिजाइन वर्ष 2052 रखा गया है।

4.5 योजना में जनसंख्या की गणना आधार वर्ष 2022 में 7,285 एवं डिजाइन वर्ष 2052 में 9,620 की गयी है, उक्त के अनुसार पेयजल की मांग आधार वर्ष में 0.51 एम0एल0डी0 एवं डिजाइन वर्ष 2052 में 0.61 एम0एल0डी0 आकंलित की गयी है।

4.6 योजना में जल स्रोत की Source Finding Report सम्मिलित की गयी है।

4.7 पेयजल आपूर्ति का मानक शत–प्रतिशत जनसंख्या के लिए 55 एल0पी0सी0डी0 + 15 प्रतिशत अतिरिक्त मांग सम्मिलित करते हुए लिया गया है।

4.8 योजना की प्रति व्यक्ति पेयजल की लागत आधार वर्ष 2022 में रू0 20,571 एवं डिजाइन वर्ष 2052 में रू0 15,578 आंकलित की गयी है।

4.9 योजना से वास्तविक आय आधार वर्ष 2022 में रू0 3.71 लाख की वार्षिक हानि एवं डिजाइन वर्ष में रू0 206.35 लाख की वार्षिक आय आकंलित की गयी है।

4.10 योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Items	Amount		Community Contribution (5% of distribution system cost)			Govt. Share (JJM cost)
		S.I.	N.S.I.	Cash	Labour	Total	
1	Cost of Civil Work	1191.25	12.27	2.95	2.95	5.90	1185.35
2	Cost of E & M Work		481.39				
3	Deposite Work Cost		31.32				
	Total Work Cost	**1191.25**	**524.98**	**2.95**	**2.95**	**5.90**	**524.98**
	Total						**1710.33**

Cost of Dovetail / Convergence works :-

i) C.A.C.M.P Works – Rs 15.46 lakh
ii) Grey Water Management Work – Rs 70.16 Lakh
Total **- Rs 85.62 Lakh**
Community Contribution - Rs 5.90 Lakh

परियोजना की कुल लागत :– रू0 1801.85 लाख

क्रमशः पृष्ठ–3/–

4.11 राज्य योजना आयोग में आगणन के परीक्षण में रू0 67.39 लाख की कटौती प्रस्तावित की गयी हैं। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यो की लागत रू0 1710.33 लाख, Convergence कार्यो की लागत रू0 85.62 लाख एवं Community Contribution रू0 5.90 लाख है।

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.10 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि** रू0 1801.85 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 समिति को अवगत कराया गया है कि आगणन का गठन Consultants द्वारा किया गया है अतः निर्माण से पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त पेयजल योजना के Most Economic / Technically feasible विकल्प का चयन कर यह प्रमाण पत्र देगें कि इससे अधिक मितव्ययी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार नियोजन विभाग को भी अवगत करायेगें।

5.2 जनसंख्या की गणना के सम्बन्ध में तहसील से पिछले दो दशक के आकडों के आधार पर जनसंख्या की गणना करने के उपरान्त ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाये।

5.3 विभाग/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगे कि डिजाइन वर्ष की मांग के अनुरूप न्यूनतम जल की मात्रा जल स्रोत में योजना की डिजाइन अवधि तक अवश्य उपलब्ध रहें।

5.4 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, ईट, cement, Steel, Pipe एवं अन्य निर्माण सामग्री का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

5.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.7 योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाय।

5.8 आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

5.10 कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1—5.10 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1157/751/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/ पेयजल/2021—22
देहरादूनः दिनांकः 20, सितम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)